Government of West Bengal have submitted to the Central Government a Scheme regarding the regularisation of about 750 Squatters' Colonies in West Bengal :

(b) if so, the broad details of the Scheme including its financial implications ; and

(c) Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) Apparently, the reference is to the regularisation of squatters' colonies in West Bengal which came into existence after 31.12.1950. This question had come up for discussion, generally, in meetings held with the representatives of the State Government in the recent past and the views of the Government of India were explained. However, State Government proposed to send some details in this regard.

(b) and (c) : De not arise.

Rehabilitation of East Pakistan Refugees in Kondagaon Zone of Dandakaranya

1757. SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the East Pakistan refugee families rehabilitated in the Kondagaon Zone of Dandakaranya have not so far been provided with agricultural land or other employment opportunities ;

(b) if so, the reasons for this state of affairs ;

(c) whether any alternative means have been provided for them ; and

(d) what percentage of the refugees under reference is likely to benefit from them ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

कृमिनाशी औषधियों के प्रभावित रहने की अवधि सम्बन्धी अनुसंधान और कृमिनाशी औषधियों का पशुओं आदि पर बुरा प्रभाव

1758. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृमिनाशी, कीटनाशी तथा घास-फूस नाश की औषधियों का सामान्य रूप से प्रयोग किये जाने पर, विशेषकर विमानों द्वारा उनका छिड़काव किये जाने पर, फसलों, घास पर जीवित रहने वाले जानवरों, पक्षियों और मछलियों पर कितने दिनों तक बुरा प्रभाव रहता है और उनके मानव स्वास्थ्य पर पालतू तथा महत्वपूर्ण जंगली जानवर पर, उपयोगी कृमियों, कीड़ों, मछलियों, शहद की मक्खियों तथा रेशम के कीड़ों आदि पर होने वाले प्रभाव को समाप्त करने के लिए किये जा रहे अनुसंधान का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : पौध स्थर अथवा भूमि में कृमिनाशी औषधियों का प्रभाव कितने दिनों तक रहता है, यह कृमिनाशी की किस्म, मौसमी हालात तथा उपचारित पेड़-पौधे की किस्म-जैसी अनेक बातों पर निर्भर करता है । वनस्पति-रक्षण में प्रयोग किये जाने वाले समस्त कृमिनाशी औषधियां जहरीली होती हैं। उनमें से कुछ अर्थात् एन्ड्रिन, पैराथियन और डीडीटी, बीएचसी तथा मलाथियन जैसी अन्यों की तुलना में अधिक जहरीले होते हैं। क्लोरीनेटिड हाइड्रोकार्बन्स से बने कीटनाशिकों का (जैसे डीडीटी, बीएचसी, एन्ड्रिन आदि) कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताहों तक प्रभाव बना रहता है जब कि फास्फेटिक ग्रुप के बने कीट नाशियों का (जैसे पैराथियन, मलाथियन आदि) प्रभाव 3 से 15 दिनों तक रहता है। प्रभावकारी मात्रा पर बड़ी सावधानी से परीक्षण करने के पश्चात ही कीट नियंत्रण के लिए